



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

भारत वनसंरक्षण
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक-738 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 6-10 सितम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग हेतु 2.25 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव सं०:- FP/UK/ROAD/18605/2016

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/१५४/२०१६/एफ०सी०/१४८८ दिनांक ०६.१२.२०१७।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 65/12-1 दिनांक 09.07.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तें	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.500 है० भूमि ग्राम-जोगड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित जमा कि जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण के पश्चात् ही भारत सरकार स्तर से विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि - प्रस्ताव गठन के समय क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.5 है० भूमि ग्राम-जोगड़ी सिविल को चयनित किया गया था, परन्तु स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि भौगोलिक परिस्थिति के कारण उपयुक्त नहीं पाई गई एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल 4.500 है० ग्राम गजेली सोड़ सिविल सोयम भूमि चयनित की गयी, जिसको कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर गढ़वाल के पत्रांक 1237/28सी० दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अवगत कराया गया, तदोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 24.07.2017 से वन संरक्षक कार्यालय को अवगत कराया गया, तथा वन संरक्षक पत्रांक 353/12-1 दिनांक 28.07.2017 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया। उक्त के उपरान्त भी भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा दिनांक 06.12.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति में ग्राम-जोगड़ी सिविल 4.50 है० सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए निर्देशित किया गया। उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्राम-गजेली सोड़ सिविल सोयम नॉन जेड०ए० खाता संख्या-60, खेत नं०-1897 रक्वा-3.946 है० एवं खेत

		<p>संख्या-1950, रक्वा-3.079 है0 मध्य-0.554 है0 कुल 4.500 है0 श्रेणी 9(3) ख(2) झाड़ी सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख रखाव हेतु निर्धारित धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के पक्ष में दिनांक 12.09.2018 को चालान सं0-6118605420 से जमा की गयी है। उक्त चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्वामित्व विवरण Georeference Map, Copy of MoU/agreement executed between the present owner and the User agency क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का डिजिटल मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाईल, हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं खाता खतौनी संलग्न कर प्रेषित है।</p> <p>अतः उक्त प्रकरण में जोगड़ी सिविल, 4.5 है0, सिविल सोयम भूमि के स्थान पर 4.5 है0 गजेली सोड़, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुमति अपेक्षित है।</p>
2	<p>प्रयोक्ता अभिकरण भारत सरकार के पत्र 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा की जायेगी।</p>	<p>वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के पक्ष में दिनांक 12.09.2018 को चालान संख्या- 6118605420 से जमा की गयी है। (संलग्नक-01)</p>
3	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।</p>	<p>वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बढ़ी हुयी दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रू0 783473.00 (सात लाख तेरासी हजार चार सौ तिहत्तर) Application No-6118605407, MoEF/SG File No-8B/UCP/06/154/2016/FC दिनांक 25.03.2025 द्वारा उत्तरांचल कैम्पा में जमा की गयी है। (संलग्नक-02)</p>
4	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होते हैं, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।</p>	<p>वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सी0ए0, एन0पी0वी0 की धनराशि चालान द्वारा कैम्पा कोष देहरादून में चालान सं0-6118605420 दिनांक 12.09.2018 (संलग्नक-03) तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि चालान संख्या-6118605407, दिनांक 25.03.2025 द्वारा उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के खाते में ऑनलाईन पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा की गयी है। (संलग्नक-04)</p>
5	<p>सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।</p>	<p>वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (संलग्नक-05)</p>

6	State Govt. will correct the data given in the district profile at para-14 part-II online as the CA stipulated is still not commensurate to the forest land diverted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के ऑनलाईन भाग-02 पैरा-14 में वर्ष 2017 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रोफाईल सम्बन्धी आंकड़ों की प्रविष्टि की गयी थी। (संलग्नक-06) भूमि हस्तान्तरण के कतिपय प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि नहीं ली जाती है, जिस कारण कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी भूमि परिलक्षित नहीं हो रही है।
---	---	---

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० शुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या-738 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर गढ़वाल।

(डॉ० एस०पी० शुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 65 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जुलाई 09, 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के किमी 4.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग हेतु 2.25 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/18605/2016

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/154/2016/एफ०सी०/1488 दिनांक 06.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 16/12-1 दिनांक 02.06.2025 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् इस कार्यालय को प्रेषित की गई है-

क्र.स.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.500 है० भूमि ग्राम-जोगड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित जमा कि जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 16/12-1 दिनांक 06.12.2025 से अवगत कराया गया है कि- प्रस्ताव गठन के समय क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.5 है० भूमि ग्राम-जोगड़ी सिविल को चयनित किया गया था, परन्तु स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि भौगोलिक परिस्थिति के कारण उपयुक्त नहीं पाई गई एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल 4.500 है० ग्राम गजेली सोड़ सिविल सोयम भूमि चयनित की गई, जिसको कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल के पत्रांक 1237/28सी दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय को अवगत कराया गया एवं प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के पत्रांक-137/12-1, दिनांक 24.07.2017 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया, तथा इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 353/12-1 दिनांक 28.07.2017 से आपके कार्यालय को अवगत कराया गया। उक्त के उपरान्त भी भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र, देहरादून) द्वारा दिनांक 06.12.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति में ग्राम-जोगड़ी सिविल 4.50 है० सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए निर्देशित किया गया।</p> <p>उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्राम-गजेली सोड़ सिविल सोयम नॉन जेड०ए० खाता संख्या-60, खेत नं०-1897 रक्वा-3.946 है० एवं खेत संख्या-1950, रक्वा-3.079 है० मध्य-0.554 है० कुल 4.500 है० श्रेणी 9(3) ख(2) झाड़ी सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख-रखाव हेतु निर्धारित धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के पक्ष में दिनांक 12-09-2018 को चालान सं०-6118605420 से जमा की गयी हैं। उक्त चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्वामित्व विवरण, Georefernce Map, Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का डिजिटल मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के०एम०एल० फाईल, हस्तान्तरण/नामान्तरण, एवं खाता खतौनी संलग्न कर प्रेषित है।</p> <p>अतः उक्त प्रकरण में जोगड़ी सिविल, 4.5 है०, सिविल सोयम भूमि के स्थान पर 4.5 है० गजेली सोड़, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुमति अपेक्षित है।</p>

प्रभारी पौड़ी

आ.का.के.।

४५

१५/०७/२०२५

22-7-25

क्रमशः पेज 02 पर

IAIDFEP

वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।
दिनांक 12-1
1-8-25

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ॥

Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfocspauri@yahoo.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in

पत्रांक :- 16 / 12-1 , पौड़ी, दिनांक, 02 जुलाई, 2025.
सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के किमी 0 4.00 से सुराड़ी गांव तक निर्माण कार्य हेतु 2.25 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो 0 नि 0 वि 0 को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/18605/2016)

सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या-1107/12-1 दिनांक 20-12-2024.


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के किमी 0 4.00 से सुराड़ी गांव तक निर्माण कार्य हेतु 2.25 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो 0 नि 0 वि 0 को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में चिन्हित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

शर्त	अनुपालन
1- शर्त सं 0-1-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.500 है 0 भूमि ग्राम-जोगड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित जमा कि जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण/नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तानान्तरण/नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	<p>शर्त सं 0-1-प्रस्ताव गठन के समय क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.5 है 0 भूमि ग्राम-जोगड़ी सिविल को चयनित किया गया था, परन्तु स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि भौगोलिक परिस्थिति के कारण उपयुक्त नहीं पाई गई एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल 4.500 है 0 ग्राम गजेली सोड़ सिविल सोयम भूमि चयनित की गई, जिसको कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल के पत्रांक 1237/ 28सी दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय को अवगत कराया गया एवं इस कार्यालय के पत्रांक-137/12-1, दिनांक 24.07.2017 के द्वारा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त को अवगत कराया गया। उक्त के उपरान्त भी भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र, देहरादून) द्वारा दिनांक 06.12.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति में ग्राम-जोगड़ी सिविल 4.50 है 0 सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए निर्देशित किया गया।</p> <p>उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्राम-गजेली सोड़ सिविल सोयम नॉन जेड 0 ए 0 खाता संख्या-60, खेत नं 0-1897 रक्वा-3.946 है 0 एवं खेत संख्या-1950, रक्वा-3.079 है 0 मध्य-0.554 है 0 कुल 4.500 है 0 श्रेणी 9(3) ख(2) झाड़ी सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख-रखाव हेतु निर्धारित धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के पक्ष में दिनांक 12-09-2018 को चालान सं 0-6118605420 से जमा की गयी हैं। उक्त चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्वामित्व विवरण, Georefernce Map, Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का डिजिटल मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के 0 एम 0 एल 0 फाईल, हस्तानान्तरण/नामान्तरण, एवं खाता खतौनी संलग्न कर प्रेषित है।</p> <p>अतः उक्त प्रकरण में जोगड़ी सिविल, 4.5 है 0, सिविल सोयम भूमि के स्थान पर 4.5 है 0 गजेली सोड़, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुमति अपेक्षित है।</p>

<p>2- शर्त सं0-2-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ सी दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।</p>	<p>शर्त सं0-2- के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित दिये धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के पक्ष में दिनांक 12-09-2018 को चालान सं0-6118605420 से जमा की गयी है। प्रति संलग्न।</p>
<p>3-शर्त सं0-3-शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बड़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।</p>	<p>शर्त सं0-3- के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बड़ी हुई दरों के अनुसार एन0 पी0 वी0 की अतिरिक्त धनराशि रु 783473.00 (सात लाख तेरासी हजार चार सौ तिहत्तर) Application No-6118605407, MoEF/SG File No-8B/UCP/06/154/2016/FC दिनांक 25.03.2025 द्वारा उत्तरांचल कैम्पा में जमा की गयी है। पत्र की कॉपी संलग्न है।</p>
<p>4- शर्त सं0-4-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होते हैं उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।</p>	<p>शर्त सं0-4- के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी0ए0, एन0पी0वी0 की धनराशि चालान द्वारा कैम्पा कोष देहरादून में चालान सं0- 6118605420 दिनांक 12-09-2018 उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के खाते में ऑनलाईन पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा की गयी है। प्रति संलग्न। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि चालान सं0- 6118605407, दिनांक 25.03.2025 द्वारा उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के खाते में ऑनलाईन पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा की गयी है। प्रति संलग्न।</p>
<p>5- शर्त सं0-5-सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।</p>	<p>शर्त सं0-5- के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न।</p>
<p>6-शर्त सं0-6-State govt. will correct the data givin in the district profile at para-14 Part-II online as the CA stipulated is still not commensurate to the forest land diverted.</p>	<p>शर्त सं0-6- मोटर मार्ग प्रस्ताव के भाग-02 बिन्दु संख्या-14 में वर्ष 2017 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रॉफाइल सम्बन्धी आंकड़ों की प्रविष्टि की गयी थी। (प्रति संलग्न) महोदय भूमि हस्तान्तरण के कतिपय प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि नहीं ली जाती है। जिस कारण कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी भूमि परिलक्षित नहीं हो रही है।</p>

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (पवन नेगी)
 प्रमाणिक वनाधिकारी
 सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।



आलय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर गढ़वाल



फोन/फैक्स नं० - 01346 - 252191, ई-मेल - eepwdsrinagar@rediffmail.com, eepwdsrinagar2013@gmail.com

पत्रांक- 1237/28सी
सेवा में,

दिनांक- 14.07.2017

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

विषय:- प्रोजेक्ट नं० FP/UK/ROAD/18605/2016 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराडी गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है आपके द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् किया गया है:-

Essential Details Sought by Forest Department	Reply of User Agency
1. Copy of map locating alternative examined is not uploaded in designated place.	The map indicating location of alternative track is uploaded at Sl. No. "D" of form A Part I
2. Justification of location the project in forest land uploaded in part I is not satisfactory. The State Govt. may upload revised justification in the designated column.	Justification for project locating in forest land uploaded in Sl.No.- "D" of form A Part I
3. Employment generation details is not furnished in Part I	Employment generation details furnished in Sl. No.-"E" of form A Part I
4. CA stipulation against total area diverted in the district profile is not commensurate and neither justified by the state Govt. regarding poor CA Progress in the district. The state Govt. may correct the information and if required to the proper justification for the poor progress for CA	N/A (Reply to be given forest Division)
4. In the DSS analysis the area calculated of KML file uploaded for CA is 3.54 ha. While the area proposed for CA is 4.50ha and out of this total area 2.0 ha is moderately dense forest. The state govt. may replace this 2ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, SOI Toposheet map and KML file of the completer 4.5ha CA area again after making the above-उक्त आपत्ति के क्रम में आपके द्वारा बताया गया कि CA हेतु नया क्षेत्र Margun area 4.80 ha चयन कर लिया गया है, परन्तु पार्ट 1 में अभी भी Gajeli saur ही दर्शाया गया है। अतः CA हेतु नया चयनित क्षेत्र Form A में दर्शाते हुये साथ ही SOI Toposheet map, GIS map, Kml File और अन्य CA related से details ऑन लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	Area for C.A. earlier allotted has been change and now New Location for C.A. (Village Gajeli Saur, area 4.50 hec.) attached with kml file, Khasra Detail, ownership proof. Mou between the Present owner and the user agency, encumbrance certificate, Geo Reference Map and Topo Sheet of C.A. in column L of Form-A Part-I.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर



॥ कार्यालय :- प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं शोयम वन प्रभाग, पौड़ी ॥

वन परिसर कण्डोलिया, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-246001.

पत्रांक :- 137 / 12-1 , पौड़ी, दिनांक, जुलाई 24, 2017.

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- प्रोजेक्ट नं० FP/UK/Road/18605/2016 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्स में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराडी गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

सन्दर्भ:- अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर गढ़वाल की पत्र संख्या - 1237/28 सी० दिनांक 14-07-2017 एवं आपका ई०डी०एस दिनांक 31-05-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ई०डी०एस० के क्रम में आपके द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर गढ़वाल व इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार से निराकरण कर लिया गया है :-

Essential Details Sought by Nodal Office	Reply
1. "Copy of map locating alternative examined is not uploaded in designated place.	The map indicating location of alternative track is uploaded at S.No. "D" of form A part I
2. Justification of location the project in forest land uploaded in part I is not satisfactory . The State Govt. may upload revised justification in the disgnated column.	Justification for project locating in forest land uploaded in SI.No. "D" of form A part I
3. Employment generation details is not furnished in part I	Employment generation details furnished in SI.No. "E" of form A part I
4. CA Stipulation against total area diverted in he district profile is not commensurate and neither justified ny the state govt regarding poor CA progress in the district. The state Govt. may correct the information and if required do the proper justification for the poor progress of CA	Correct Distrcit profile Figures successfully filled in S.No 14 of form part II
5. In the DSS analysis the area calculated of KML file uploaded for CA is 3.54 ha while the area proposed for CA is 4.50 ha and out of this total area 2 ha is moderately dense forest. The State Govt. may replace this 2 ha area with some other area suitable for CA and provide/ upload revised digital map. SOL toposheet map and KML file of the complete 4.5 ha CA area again after making the above change.	Area for CA earlier allotted has been change and now the new location for CA(village Gajeli Saur, area 4.50 hec) attached with kml file Khasra detail, ownership proof, MOU between the present owner and the user agency, encumbrance certificate, GEO refrenced Map and Topo Sheet of CA in column "L" of form A part I

भवदीय,

(लक्ष्मी सिंह शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं शोयम वन प्रभाग, पौड़ी।


प्रारूप-43


परियोजना विवरण :-


जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-गजेली पट्टी चलणस्यूं, तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल की सिविल सोयम स्थल जो संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया, वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


अविशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)



प्रभारी वन अधिकारी
सिविल सोयम स्थल
जन प्रमाण पौड़ी


जिला पौड़ी गढ़वाल


तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल


उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल


कृते जिलाधिकारी
गढ़वाल



Ownership details
शसि सं. -01

नं.काल खतीनी नॉन जेड050 ग्राम - गजेली सोड

पट्टी - बलणपुर-2

परगना-देवलगाड

तहसील-श्रीनगर

जिल्हा-पांडी गाडवाल

क्र.सं. (खतीनी)	मुलाखित (खतीनी) खता नं.	खतदार/काबिल का नाम पितृ नाम व निवास स्थान	मुद्रत काबल या कबला	हाल खतारा नं.	क्षेत्रफल (हे.) में	नाम लोक	नं.र भाबिल काब	भालगुजारी	क्षेत्र	भाबिलका शुकरारी	किंमत जमीन			क्षेत्रफल	कटील	कुल रकमा	निसार		बिदरण	
											दवाक	उपवाक	दाग				कानूनी	नं.र कानूनी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
-	60	आजी उत्तराखण्ड सरकार	-	1897	3.946	देला														
-	60			1950	3.079	रवाडी														
		श्रीग			7.025															


नोट :- खेत नं.0 1897 रकमा 3.946 हे.0 एवं खेत नं.0 1950 रकमा 3.079 हे.0 अर्थात कुल 7.025 हे.0 में से 4.500 हे.0 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की जाती है।

M. R. S. Sharma
Commissioner
श्रीनगर गाडवाल

[Signature]
उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गाडवाल


[Signature]
श्रीनगर गाडवाल

जीयोरफरेन्स मैप - जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिरसू में गावाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



30°13'18"N 30°13'21"N 30°13'24"N 30°13'27"N 30°13'30"N 30°13'33"N

78°53'0"E 78°53'3"E 78°53'6"E 78°53'9"E 78°53'12"E 78°53'15"E 78°53'18"E 78°53'21"E 78°53'24"E 78°53'27"E 78°53'30"E 78°53'33"E



Legend
 GPS Point
 Proposed Plantation

S.no.	Longitude	Latitude
1	78° 53' 12.123" E	30° 13' 21.942" N
2	78° 53' 13.106" E	30° 13' 23.078" N
3	78° 53' 14.476" E	30° 13' 24.356" N
4	78° 53' 15.457" E	30° 13' 26.299" N
5	78° 53' 16.810" E	30° 13' 30.007" N
6	78° 53' 17.051" E	30° 13' 30.855" N
7	78° 53' 15.072" E	30° 13' 31.464" N
8	78° 53' 12.176" E	30° 13' 32.181" N
9	78° 53' 8.382" E	30° 13' 30.226" N
10	78° 53' 9.551" E	30° 13' 28.120" N
11	78° 53' 10.249" E	30° 13' 26.870" N
12	78° 53' 9.518" E	30° 13' 24.871" N
13	78° 53' 9.062" E	30° 13' 22.677" N

Handwritten notes in blue ink:
 - "श्रीनगर विकासखण्ड" (Shrinagar Development Block)
 - "जनपद पौड़ी गढ़वाल" (District Pauri Garhwal)
 - "विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर" (Assembly Constituency Shrinagar)
 - "विकासखण्ड खिरसू" (Development Block Khirsu)
 - "गावाणा मोटर मार्ग" (Gawana Motor Road)
 - "क्षतिपूरक वृक्षारोपण" (Compensatory Afforestation)
 - "जिलाधिकारी गढ़वाल" (District Collector Garhwal)
 - "श्रीनगर (गढ़वाल)" (Shrinagar (Garhwal))

78°53'3"E 78°53'6"E 78°53'9"E 78°53'12"E 78°53'15"E 78°53'18"E 78°53'21"E 78°53'24"E 78°53'27"E 78°53'30"E 78°53'33"E

30°13'18"N 30°13'21"N 30°13'24"N 30°13'27"N 30°13'30"N 30°13'33"N 30°13'36"N


mo


कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।


क्र० सं०	ग्राम (N.Z.A. खतौनी)	पट्टी एवं तहसील	खाता सं०	खेत संख्या	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	किस्म भूमि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गजेली सौड़	चलणस्यूं श्रीनगर	60	1897	3.946	3.946	झाड़ी	9 (3) ख (2)
				1950	3.079	0.554	झाड़ी	9 (3) ख (2)
	योग			1	7.025	4.500		


नोट :- नकल खतौनी मुताबिक असल से तैयार किया गया है।

मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित सिविल भूमि 2.250 हे० के विरुद्ध दुगनी भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त वर्णित भूमि (रकवा 4.500 हे०) सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दी जायेगी।


अमीन


Rishi Chandra
Tehsil Inagar


सहायक आरक्षक
निर्माण खण्ड, लो० वि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)



आरक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल


उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

डिजिटल मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास
खण्ड खिरसू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Division Boundary

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० वि० डि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[Signature]
अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि० डि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[Signature]
जिलाधिकारी
गढ़वाल

[Signature]
उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

[Signature]
प्रशासनिक अधिकारी
विश्वविद्यालय सोयम वन प्रयोग
शेखरी

Gajel Sauli


Chakri Danda

Karda Laggar Ramdur

Kagri

Chakri Danda

Ent
Sajelt
Sauli



॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

E-Mail ID: dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्या: 1853/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौड़ी जून 12, 2018

"आदेश"

उपजिलाधिकारी श्रीनगर के पत्र संख्या: 08/जे0ए0/2017-2018 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 04.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गजेली सौड पट्टी चलणस्यूँ तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0खतौनी खाता संख्या 60 खेत संख्या 1897 रक्वा 3.946 है0 एवं खेत संख्या 1950 रक्वा 3.079 है0 मध्ये 0.554 है0 कुल 4.500 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) झाड़ी दर्ज सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर संस्तुति की गयी है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया है जो कि उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 04.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम गजेली सौड पट्टी चलणस्यूँ तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0खतौनी खाता संख्या 60 खेत संख्या 1897 रक्वा 3.946 है0 एवं खेत संख्या 1950 रक्वा 3.079 है0 मध्ये 0.554 है0 कुल 4.500 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) झाड़ी दर्ज सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- राधिव, राजस्व अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर।
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, श्रीनगर।

अध्या प्रति प्रमाणित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-श्रीनगर में गवाणा मोटर मार्ग के 4 कि०मी० से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.250 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम-गजेली सौड़, पट्टी-चलणख्यूँ, तहसील-श्रीनगर के नॉन जेड०ए० खतौनी खाता संख्या 60 खेत संख्या 1897 रक्वा 3.946 है० एवं खेत संख्या 1950 रक्वा 3.079 है० मध्ये 0.554 है० कुल 4.500 है० श्रेणी 9(3)ख(2) झाड़ी दर्ज सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं० 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1566/14-2-97-800 (II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 64 / 12-1, दिनांकित, पौड़ी, दिसम्बर, 2024-09/07/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

शक्ति सं-02

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 12-09-2018	
Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118605420
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction division P.W.DPauri Garhwal
Amount(in Rs)	2732243/-
Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Thirty-Two Thousand Two Hundred and Forty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896118605420 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 12-09-2018	
Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118605420
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer Construction division P.W.D Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	2732243/-
Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Thirty-Two Thousand Two Hundred and Forty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896118605420 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in


अथवा प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग, लो.नि.वि.
गढ़वाल

शर्त सं- 2/03/
/04/

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-03-2025

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118605407
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction division P.W.D Srinagar Garhwal Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	783473/-

Amount in Words :Seven Lakh Eighty-Three Thousand Four Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896118605407 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-03-2025

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118605407
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer Construction division P.W.D Srinagar Garhwal Pauri Garhwal
Amount(In Rs)	783473/-

Amount in Words :Seven Lakh Eighty-Three Thousand Four Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896118605407 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank


शर्त-04 बिन्दु सं०-5
शर्त सं०-5


मार्ग का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो मोटर मार्ग के दोनों किनारों पर Central Verge पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


अधीशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0205/2016

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

(i)

State / Union Territory : Uttarakhand

(ii)

District : Pauri Garhwal

(iii)

Forest Division : Civil Soyam Pauri Forest Division

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 2.25

(v)

Category of the Proposal: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Civil Soyam Pauri Forest Division	2.25	Revenue Forest
Total		2.25	

Division 1. : Civil Soyam Pauri Forest Division

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Pauri Garhwal	2.25
Total		2.25

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.25	0.3	Eco 5
Total.		2.25	

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Cheed	0	30	11	13	6	7
Total			0	30	11	13	6	7
Sub Total (No of Trees.)			67					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : NIL

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :

Road work construction for public interest in Km 4 of Rampur Gawana Motor Road to village surari in district pauri and no erosion has been done

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 3

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : NO Wildlife present in and around the forest land proposed
- Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9. Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

(i).

Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Pauri Garhwal	Gajeil Saur	4.5	1897,1950		

(ii).

Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iii).

Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

(iv).

Copy of CA scheme details:

(iv).

Copy of CA scheme details: NA

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
NIL		

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Pauri Garhwal	532900	385094.20	2122.20	438	1455.20	31/03/2017	658.60	710.50

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Civil Soyam Pauri Forest Division	Garhwal	DFO	Yes	One		10/04/2016

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Civil Soyam Pauri Forest Division	Garhwal	DFO	Recommended	Recommended in public interest		
	Garhwal	CF	Recommended	Road is necessary for providing connectivity to the villagers.		Yes
		Nodal Officer	Recommended	As per file attached		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17. Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	21/07/2016		State Govt. Officer	No Data	

Stage-I Clearance Report

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	Regional Office	8B/UCP/06/154/2016/FC	06/12/2017	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Demmand Generated By User Agency	Demmand Verified By Nodal Officer	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/18605/2016	ROAD186052016420	2,732,243.00	2,732,243.00	18/09/2018	SBINR52018091800006185	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	03/08/2018	07/08/2018	
FP/UK/ROAD/18605/2016	ROAD186052016407	783,473.00	783,473.00	28/03/2025	RBI0882537181793	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	28/02/2025	25/03/2025	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

(i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes

(ii). Total Land identified for raising CA: 4.5

(iii). No. of Maintenance years: 20

(iv). Total No. of Patches/Parcel: 1


No. of patches : 1


Patch wise details		
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)
1	Block(Polygon)	4.5

Status of CA Land so identified : Non Forest Area


Site Name : Motor Road For Village Suradi from km 04 of Gawana Motor Road.

Location Details : At Khirshu Block.

Uploaded GPS File : 

Uploaded Scanned copy of Map : 


Mutation Status : Mutated

Mutation Status						
Circle Name.	Name of Division.	Name of Range.	Mutation Order No.	Mutation Date	How Much Area of Mutated Land Received	Mutation Letter
Garhwal	Garhwal,Pauri	Pauri	1858/26 Prasha0Adhi0(Sa0Prasa0)/2018 Dated 12/06/2	12 Jun 2018	4.5	

20. Mutation Details Verified By Nodal Officer

Proposal No.	Verified Date	Mutation Letter	Remarks
FP/UK/ROAD/18605/2016	05 Nov 2020	No Data	As per uploaded detail

21. Compliance Details Submitted by User Agency

Proposal No.	Compliance Details submitted on(Date)	Uploaded Letter
FP/UK/ROAD/18605/2016	18 Jul 2024	

23. Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK/ROAD/18605/2016		Approved In-Principle	No Data

Print

Checklist for State Nodal Officer

X

2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ सी दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के पक्ष में दिनांक 12-09-2018 का चालान सं0-6118605420 से जमा की गयी है। प्रति संलग्न।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई दरों के अनुसार एन.पी.वी. की अतिरिक्त धनराशि रु 783473.00 (सात लाख तेरासी हजार चार सौ तिहत्तर) Application No-6118605407, MoEF/SG File No-8B/UCP/06/154/2016/FC दिनांक 25.03.2025 द्वारा उत्तरांचल कैम्पा में जमा की गयी है। चालान की प्रति संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होते हैं उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी0ए0, एन0पी0वी0 की धनराशि चालान द्वारा कैम्पा कोष देहरादून में चालान सं0- 6118605420 दिनांक 12-09-2018 (प्रति संलग्न) तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि चालान सं0- 6118605407, दिनांक 25.03.2025 द्वारा उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के खाते में ऑनलाईन पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा की गयी है। प्रति संलग्न।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन पौड़ी के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न।
6	State govt. will correct the data given in the district profile at para-14 Part-II online as the CA stipulated is still not commensurate to the forest land diverted.	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के ऑनलाईन भाग-02 पैरा-14 में वर्ष 2017 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सम्बन्धी आंकड़ों की प्रविष्टि की गयी थी। (प्रति संलग्न) भूमि हस्तान्तरण के कतिपय प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि नहीं ली जाती है, जिस कारण कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी भूमि परिलक्षित नहीं हो रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 65 / 12-1 दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी